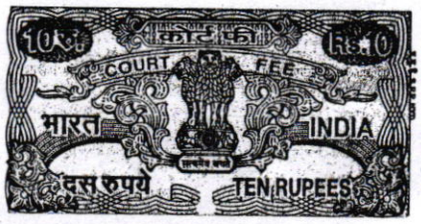

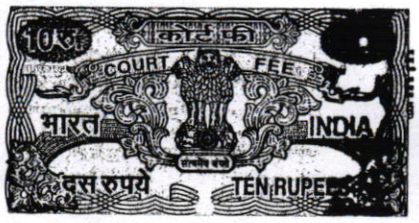

माननीय राजस्व मंडल महोदय ग्वालिय (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक 2018 अपील – 4376/2018/उज्जैन/भू.रा.

श्रीमती कलाबाई पति मनोहरलाल जी रघुवंशी
निवासी-542 गुलाब बाई कालोनी नागदा
जिला उज्जैन .,........अपीलांट

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर उज्जैन
.........रेस्पांडेंट

अपील अंतर्गत धारा 44 (2)म.प्र.भू.राजस्व संहिता

आदेश प्रदान करता अपर आयुक्त महोदय उज्जैन के प्रकरण क्र. 946/17-18 अपील आदेश दिनांक 29.05.18 से असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

अपीलांट की ओर से निम्नलिखित अपील प्रस्तुत है :-

अपील के तथ्य

1. यह कि, अपीलांट ने एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर महोदय उज्जैन के समक्ष धारा 89 म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत दिनांक 10.11.13 को प्रस्तुत किया गया था एवं निवेदन किया गया था कि अपीलांट के भूमि स्वामी सर्वे नं. नये 240 व 241 के अक्ष की आकृति बंदोबस्त के समय त्रुटि हो जाने से पुराने सर्वे नंबर 56/1/1 व 56/1/2 अनुसार अक्ष की आकृति में संशोधन किये जाने का निवेदन किया गया था उस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार महोदय नागदा को प्रकरण जांच हेतु भेजा गया था तथा अपीलांट व साक्षियों के कथन लिये जाकर स्थल निरीक्षण की जांच की जाकर तहसीलदार महोदय द्वारा अपीलांट के पक्ष में प्रतिवेदन दिनांक 07.05.14 का दिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय उज्जैन को विधिवत निराकरण हेतु प्रेषित किया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय ने अपीलांट को कोई सूचना न दी जाकर बिना किसी आधार के अपीलांट को सुने बगैर बंदोबस्त की त्रुटि के संशोधन का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। अपीलांट को अपर कलेक्टर महोदय उज्जैन के आदेश

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील-4376/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07/08/18	प्रकरण का अवलोकन किया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया। प्रकरण को देखने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 17.08.2017 के विरुद्ध दिनांक 28.04.2018 को अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष अपील पेश की गई जिसे अपर आयुक्त द्वारा अवधि वाह्य मानकर निरस्त किया गया। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अवधि बाधित अपील आवेदन के साथ अवधि विधान की धारा-5 के तहत दिन-प्रतिदिन के विलंब के लिए समाधानकारक कारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, परंतु अपीलार्थी द्वारा विलंब के कारणों का कोई युक्तियुक्त समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए जाने से विलंब माफी दिया जाना संभव नहीं है। उक्त आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की अपील निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। विलंब क्षमा न्यायालय का विवेकाधिकार है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसे कोई ठोस एवं समाधानकारक कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिससे यह अपील ग्राह्य की जा सके। दर्शित् परिस्थिति में यह अपील ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	